SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: On important issues, you can have discretion. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Question 44, please. ...*(Interruptions)*...

Suggestions for amending Juvenile Justice Act

44. SHRI JAI PRAKASH NARAYAN SINGH: Will the Minister of WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government is considering to amend the Juvenile Justice Act to lower the age limit from 18 to 16 years;

(b) if not, reasons therefor;

(c) whether Government has received many suggestions from State Police officials and other organisations for amendment of the Juvenile Justice Act; and

(d) if so, the details in this regard and Government's reaction to these suggestions?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI KRISHNA TIRATH): (a) to (d) A statement has been laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) In a meeting held by the Ministry of Home Affairs with Chief Secretaries of the State Governments and Director Generals of Police on 4.1.2013, a suggestion was made regarding lowering of the age of juveniles. However, the Committee on Amendments to Criminal Law under the Chairmanship of Justice J.S. Verma (Retd.), in its recommendations submitted on 23.1.2013, has not supported the suggestion regarding reduction of the age of the child in conflict with law. Accordingly, the Ministry of Women and Child Development is not presently considering any amendment to lower the age of children in conflict with law under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 (JJ Act).

Other suggestions received from various organisations regarding amendments to the JJ Act include, *inter-alia,* penal provision for non registration of Homes for children; strengthening of provisions related to adoption of children; clarity in the roles of Child Welfare Committees and Juvenile Justice Boards; special provisions for children in conflict with law who have committed heinous crimes; and trial of such children in conflict with law in adult courts. These suggestions are under consideration of the Ministry.

श्री जय प्रकाश नारायण सिंह: सभापति जी, हाल ही में दिल्ली में जो रेप हुआ है, आजादी के बाद से कितने रेप हो गए, उनका कोई ठिकाना ही नहीं है, कोई counting नहीं है। दिल्ली में हुए इस रेप के मामले ने एक जनक्रांति खड़ी कर दी है और देश ही नहीं, विदेशों में भी ध्यान इस ओर गया है। एक कहावत है कि -

"निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना,
रक्षा साधन उसे प्राप्त हो चाहे नाना।"

आप संविधान में चाहे कितने ही कानून बना लीजिए, जब तक आप उन्हें strictly follow नहीं करेंगे, तब तक निर्बल का कोई ठिकाना नहीं है।

श्री सभापति: आप कृपया सवाल पूछिए।

श्री जय प्रकाश नारायण सिंह: मेरा सवाल यही है कि अभी हाल ही में दिल्ली में 6 लड़कों ने एक लड़की का बलात्कार किया, जिनमें एक नाबालिग भी सम्मिलित था। इस नाबालिग लड़के की उम्र 17 साल, 5 महीने थी। इसके बाद देश भर में किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन करने की मांग हुई। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसे गंभीर अपराधों, जिनमें हत्या और बलात्कार शामिल हैं, उनमें लिप्त अपराधियों को किशोर न्याय अधिनियम से बाहर करेगी? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रीमती कृष्णा तीरथ: सभापति जी, इनका question यह है कि जो हमारे juveniles हैं, क्या उनकी उम्र कम की जाए? साथ ही इन्होंने कहा कि अभी जो दिसम्बर में दिल्ली में rarest of rare case हुआ, उसमें एक juvenile की उम्र कम थी। तो एक juvenile को देखते हुए हम सभी juveniles की उम्र कम करें, यह न्यायसंगत नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश में 42 परसेंट population बच्चों की है और करीब 44 करोड़ बच्चे हमारे देश में हैं, जिसमें अगर हम serious and non-serious crime report देखें, तो उसमें .01 परसेंट बच्चे crime करते हैं, जिसमें कुछ henious हैं, कुछ serious हैं और कुछ non-serious हैं। Non-serious crimes में जैसे कुछ पैसे उठा लिए, भूख लगी तो रोटी उठा ली - अगर इस तरह के crimes के लिए भी हम कहें कि उनकी उम्र 16 करके उनको पुलिस के हवाले कर दिया जाए, तो यह हमारे देश के बच्चों के साथ न्याय नहीं होगा। आज के बच्चे कल के देश का भविष्य हैं। मैंने बहुत सारे NGOs के साथ, activists के साथ, जो child expert हैं, consultation किया था। उन्होंने कहा कि एक-दो बच्चे ही henious crime करते हैं और इस केस में, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो इसको rarest of the rare case के तौर पर अलग रखकर हम देखें। इस तरह के बच्चों की उम्र अगर हम 16 साल कर दें या उससे और कम कर दें, तो वे बच्चे, जो छोटे-मोटे normal crimes करते हैं, उनके लिए यह ठीक नहीं होगा। ऐसे बच्चों को हमें समझाना चाहिए। ऐसे बच्चों को हम homes में भेजते हैं। जब पुलिस उनको लेकर आती है, तो उनको CWC या Juvenile Justice Board

में भेजा जाता है। बोर्ड उन्हें होम में भेजता है और अगर उसका crime serious नहीं है, तो होम में उसको समझा कर छोड़ दिया जाता है। हम सबकी भी यह जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को अच्छा environment मिले। कुछ बच्चे surrendered हैं, कुछ abandoned हैं, कुछ orphans हैं। उन बच्चों को कैसा माहौल मिला, जिसकी वजह से वे ऐसी परिस्थिति में आए? हम उनको समझा कर अच्छे नागरिक बना सकें, यह हमारी जिम्मेदारी होगी, इसलिए उनकी उम्र कम करने के लिए आज हम तैयार नहीं हैं और juvenile की जो उम्र 18 साल की उम्र है, वह वही रहेगी।

श्री सभापति: दूसरा प्रश्न पूछिए।

श्री जय प्रकाश नारायण सिंह: सर, दूसरे प्रश्न से पहले इसी में एक प्रश्न और है।

श्री सभापति: नहीं, नहीं, दूसरा प्रश्न पूछिए।

श्री जय प्रकाश नारायण सिंह: सर, अभी जो juvenile crime करता है, उसके crime के criteria को आप classify कीजिए। अगर किसी juvenile ने आलू चुरा लिया, भोजन चुरा लिया, वह अलग crime हुआ और अगर उसने किसी का मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, वह अलग crime हुआ। इसके लिए कोई criteria बनाइए, ताकि ऐसा करने वालों को juvenile से अलग किया जा सके। यह मैं पहले question के संबंध में कहना चाहता था।

मेरा दूसरा question यह है कि दिल्ली और बड़े शहरों में बच्चे प्रतिदिन लापता हो रहे हैं। लापता बच्चों की संख्या चौंकाने वाली है। बड़े-बड़े माफिया और गैंग बच्चों को उठाने और उन्हें गलत काम कराने की ट्रेनिंग देते हैं। मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि इस विषय में सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्रीमती कृष्णा तीरथ: सभापति जी, इन्होंने जो पहला प्रश्न किया कि जो बच्चे serious crime करते हैं, उनको अलग रखा जाए, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि उनके homes अलग हैं और उनको वहां तीन साल तक रखकर कुछ ट्रेनिंग दी जाती है और उनको समझाया जाता है। ...**(व्यवधान)**...

श्री जय प्रकाश नारायण सिंह: नहीं, नहीं, वह प्रश्न ही नहीं है।

श्रीमती कृष्णा तीरथ: ऑलरेडी तीन साल तक की ...**(व्यवधान)**...

श्री जय प्रकाश नारायण सिंह: मैंने यह कहा है कि बच्चे लापता हो रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने भी यह प्रश्न उठाया है कि जो बच्चे लापता हो रहे हैं, उनके लिए सरकार क्या कर रही है?

श्री सभापति: आप अपने प्रश्न का जवाब सुन लीजिए।

श्रीमती कृष्णा तीरथ: जो बच्चे लापता हो रहे हैं, इसका रिकॉर्ड मैं अभी लेकर आपको दे दूंगी, लेकिन जो बच्चे serious crime कर रहे हैं, उनके लिए ...**(व्यवधान)**... homes अलग हैं और तीन साल तक की सज़ा है। ...**(व्यवधान)**... यह आपके प्रश्न में नहीं था कि कितने बच्चे लापता हो रहे हैं? आपने बच्चों की, juvenile की उम्र कम करने की बात कही है। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: बैठ जाइए ...**(व्यवधान)**... प्लीज़, श्री करीमपुरी, प्रश्न पूछिए।

श्री अवतार सिंह करीमपुरी: सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं, मंत्री महोदया ने यह तो बता दिया कि age reduction का कोई consideration नहीं है, उन्होंने अपने replys में बताया है कि various organisations ने एक्ट में अमेंडमेंट के लिए कुछ सजेशन्स दिए हैं। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि जो सजेशन्स under consideration हैं, सरकार को उन पर निर्णय करने में कितना समय लगेगा?

श्रीमती कृष्णा तीरथ: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि अमेंडमेंट के लिए ऐसी कोई चीज़ें नहीं आयी हैं। गृह मंत्रालय द्वारा जो 4.01.13 को मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशकों की मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने आयु कम करने के लिए कहा था, जिसको हम लोगों ने नहीं माना है। उस बात को हमने इसलिए नहीं माना कि हम देश के बच्चों को अपने दिल के करीब रखना चाहते हैं। अगर हम बच्चे को समझाकर उसे सही रास्ते पर ला सकेंगे तो वह आगे जाकर देश का अच्छा भावी नागरिक बनेगा। इसके अलावा अन्य कोई अमेंडमेंट्स हमारे पास नहीं आए हैं, जिन पर हम कंसिडर कर सकें। एज की बात आयी थी, लेकिन उसे हम नहीं मान रहे हैं। हमारे सीडब्ल्यूसी और जुविनाइल जस्टिस बोर्ड में हम इनको अच्छा वातावरण दे सकें, वहां पर हम डॉक्टर की फेसेलिटी दे सकें, उनको अच्छे काम सिखा सकें, इस पर हम काम कर रहे हैं। बाकी जो छोटे-छोटे अमेंडमेंट्स आए हैं, उन पर थोड़ा सा समय लगेगा। उन पर हम लोग कंसिडर करेंगे और बातचीत करने के बाद अगर जरूरत हुई तो हम उसमें अमेंडमेंट करेंगे।

श्री शिवानन्द तिवारी: महोदय, जिस लड़के के बारे में श्री जय प्रकाश नारायण सिंह जी ने सवाल किया था, उस लड़के की पृष्ठभूमि के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में जो खबरें आयी थीं, उनसे पता लगा कि वह एक विधवा का बेटा था और बहुत ही दरिद्र और कंगाल परिवार से आता था। उसकी मां को यह भी नहीं मालूम था कि उसका बेटा जिंदा है या मर गया। इस तरह की पृष्ठभूमि वाले बच्चे बहुत बड़ी संख्या में मुम्बई और दिल्ली जैसे शहरों में रहते हैं। हम माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहते हैं कि क्या इसका कोई रिकॉर्ड सरकार के पास है या नहीं कि इस तरह के जो लावारिस बच्चे हैं, जो फुटपाथों

पर अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, वे किस ढंग से रह रहे हैं? मंत्री महोदया ने अभी कहा कि हम उनको दिल के नज़दीक रखना चाहते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस तरह के कितने बच्चों को सरकार ने अपने दिल के नज़दीक रखा है और उनके लिए किस तरह की संस्था का निर्माण इन्होंने किया है, जिससे वे बच्चे, जिनके बारे में इनकी कल्पना है कि वे अच्छा नागरिक बन सकें, इस तरह का क्या प्रयास सरकार की ओर से हो रहा है?

श्रीमती कृष्णा तीरथ: सभापति जी, जैसा मैंने कहा कि हम इन बच्चों को दिल के नज़दीक रखना चाहते हैं। हमारी आईसीपीएस, Integrated Child Protection Scheme है, जिसके तहत सभी राज्यों को हम अलग-अलग डायरेक्शंस देते हैं कि जुविनाइल जस्टिस बोर्ड बनाएं, सीडब्ल्यूसी बनाएं। उसके बाद फिर अडॉप्शन में चला जाता है। इसमें अभी तक शुरू में जो सीडब्ल्यूसी थे, वे 214 थे, लेकिन हमने कोशिश की और अब 617 सीडब्ल्यूसी बने हैं। इसी तरह से शुरू में जो जुविनाइल जस्टिस बोर्ड थे, वे 220 थे, अब 607 बन चुके हैं। आईसीपीएस में स्टेट गवर्नमेंट्स को इनका नम्बर पता करने के लिए हमने कहा है कि अलग-अलग स्टेट में, कहां-कहां ऐसे बच्चे हैं, जो surrendered हैं, abondoned हैं, street children हैं, roadside में हैं, जिनका कोई नहीं है, उनका नम्बर वे हमें लेकर दें जिससे हम होम्स को जो पैसा देते हैं, under this scheme, वह पैसा हम उन तक पहुंचा सकें, ताकि इन बच्चों को ठीक से सुविधाएं मिलें और वे अच्छे नागरिक बन सकें।

डा. राम प्रकाश: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन जुविनाइल ने अपराध किए हैं - क्योंकि उनका नाम गुप्त रखा जाता है, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती और उन्हें होम में भेज दिया जाता है - ऐसे कितने बच्चों का बाद का रिकार्ड इनके पास है कि उन्होंने कोई अपराध किया या नहीं किया अथवा कोई रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं है?

श्रीमती कृष्णा तीरथ: महोदय, माननीय सदस्य ने एक अच्छा प्रश्न किया। 2012-13 की जो मेरे पास रिपोर्ट आयी है, उसके अनुसार आईसीपीएस के अन्दर 74,742 बच्चे हैं। जब बच्चों को हम यहां से ट्रेनिंग देकर भेजते हैं तो हम बाकायदा उनको ट्रैक करते हैं। उसके बाद जब वे 18 साल के हो जाते हैं, तब वे बच्चे हमारे पास नहीं रहते। 18 साल की उम्र तक हम उन्हें ट्रैक करते हैं कि उनका आचरण कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है। अगर उनका आचरण और व्यवहार अच्छा होता है तो वे समाज में मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं।

डा. राम प्रकाश: सर, मेरा सवाल यह था कि क्या 18 साल की उम्र पार करने के बाद ऐसे बच्चों ने अपराध किए या नहीं किए ताकि हमें इस बात का अंदाजा लगे कि हम जो उनकी उम्र नहीं घटा रहे हैं और जिनको हमने सुधार गृह में रखा है, उसका कोई लाभ उन्हें हुआ या नहीं हुआ? अगर लाभ नहीं हुआ तो उनकी उम्र घटायी जानी चाहिए

और जो अपराध है, उसकी गंभीरता के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए न कि उम्र के हिसाब से। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: You can't put two questions.

डा. राम प्रकाश: अगर 18 साल की उम्र से एक हफ्ता पहले कोई कत्ल कर दे तो क्या उसे सजा नहीं दी जाएगी?

श्रीमती माया सिंह: सभापति महोदय, हमने प्रश्न पूछने के लिए हाथ उठाया था, लेकिन आपने हमें बोलने का मौका नहीं दिया। वह तो बिना नाम बुलाये ही इतना बोल रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Mayaji, you know the procedure.

श्रीमती कृष्णा तीरथ: सभापति जी, जैसा कि मैंने कहा कि हम 18 साल तक उसको track करते हैं, होम में हो तो उसका आचरण देखते हैं और जब उसका 18 साल तक आचरण ठीक रहेगा, तो मुझे लगता है आगे बड़ा होकर वह खुद समझदार होगा और अपने आपको समाज के साथ स्थापित करेगा।

Contribution of manufacturing sector to GDP

*45. DR. KANWAR DEEP SINGH: Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state:

(a) the current contribution of the manufacturing sector to the country's GDP;

(b) whether Government is taking any steps to spur the manufacturing sector, which can lead to massive rural employment generation;

(c) if so, the details thereof, including the impact of the same on rural employment over the last four years; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI ANAND SHARMA): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The share of manufacturing in the Gross-Domestic Product (GDP) has been hovering around 15% to 16%. As per Advance Estimates (AE) made by the Central Statistics Office (CSO), the contribution of manufacturing to the (GDP) during 2012-13 is 15.2% at factor cost at 2004-05 prices.